

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-आव्हान निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या

195/2024

दायर दिनांक

14.05.2024

निर्णय दिनांक

11.06.2024

उनवान

1. हजारी पिता देवीलाल जी नायक उम्र वयस्क निवासी सुवाणा हाल निवासी बेंगू तह0 बेंगू जिला चित्तौड़गढ़

प्रार्थी

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र मांगीलाल नायक उम्र वयस्क निवासी वार्ड न0 02 सुवाणा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. जीवराज पुत्र मांगीलाल नायक उम्र वयस्क निवासी वार्ड न0 02 सुवाणा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. दुर्गा देवी पुत्री मांगीलाल नायक उम्र वयस्क निवासी वार्ड न0 02 सुवाणा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. कैलाश पुत्र रामलाल नायक उम्र वयस्क निवासी वार्ड न0 02 सुवाणा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. मनभर पत्नी रामलाल नायक उम्र वयस्क निवासी वार्ड न0 02 सुवाणा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. डाली पुत्री मोहनलाल नायक उम्र वयस्क निवासी वार्ड न0 02 सुवाणा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. दुर्गा पत्नी मोहनलाल नायक उम्र वयस्क निवासी वार्ड न0 02 सुवाणा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. प्रेम पुत्री काना नायक उम्र वयस्क निवासी वार्ड न0 02 सुवाणा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
9. भैरूलाल पुत्र मोहनलाल नायक उम्र वयस्क निवासी वार्ड न0 02 सुवाणा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
10. राधा देवी पुत्री मोहनलाल नायक उम्र वयस्क निवासी वार्ड न0 02 सुवाणा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
11. शांति पुत्री मोहनलाल नायक उम्र वयस्क निवासी वार्ड न0 02 सुवाणा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
12. सुखा पुत्र नन्दा नायक उम्र वयस्क निवासी वार्ड न0 02 सुवाणा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा राज0

  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाड़ा

-विपक्षीगण

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी ओम प्रकाश नायक  
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 12 उपस्थित नहीं


-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-  
-: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सुवाणा प0ह0 सुवाणा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069-2073 के खाता संख्या 1599 की अभिलिखित आराजियात 2451/02, 2452, 2453 कुल कित्ता 03 कुल रकबा 0.7081 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडोसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 12 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वारते आदेश नियत किया गया।


हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा सुवाणा प0ह0 सुवाणा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069-2073 के खाता संख्या 1599 की अभिलिखित आराजियात 2451/02, 2452, 2453 कुल कित्ता 03 कुल रकबा 0.7081 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिक्केन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने पर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर

  
उपस्थित अधिकारी  
भीलवाडा

सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(आशद निवृत्ति सोमनाथ)

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा